श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार जनपद में मुख्य स्थानों, चैराहों पर की जा रही है संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चैकिंग-श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के आदेशानुसार दिनांक 09-10-2020 को क्षेत्राधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मुख्य-मुख्य स्थानों, एटीएम व चैराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं दो पहिया व चार पहिया वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर तथा कोवड-19 के संक्रमण को देखते हुए मास्क न लगाने वाले लोगों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। साथ ही लोगों को यातायात के नियमों व मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु बताया भी जा रहा है।

सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों के लिए जागरूक करने हेतु करायीं गयीं चित्रकला प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित-आज दिनांक 09-10-2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री आन्जनेय कुमार सिंह तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के नेतृत्व में द्वितीय त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह-2020 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की सर्व संस्कृति स्कूल बिलासपुर लीड इंटरनेशनल कॉलेज रामपुर, आर.ए.एन.ए पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुमित यादव का रहा, द्वितीय स्थान रिया गुप्ता तथा तृतीय स्थान सानिया का रहा। तीनों विजेताओं को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रामपुर व प्रभारी यातायात, रामपुर द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-दिनांक 17-06-2018 को जनपद-रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिंग लडकी के घर में घुसकर अशरफ पुत्र वकील अहमद निवासी मौहल्ला सिंघडियान कस्बा व थाना केमरी जनपद रामपुर द्वारा बलात्कार किया गया था। इस सम्बंध में थाना केमरी, रामपुर पर मु0अ0स0-176/2018 धारा 452,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम अशरफ उपरोक्त पंजीकृत हुआ था। दिनांक 18-06-2018 को थाना केमरी पुलिस द्वारा अभियुक्त अशरफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

जनमानस में कानून के प्रति विश्वास सुदृढ बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जाती है के

अन्तर्गत दिनांक 08-10-2020 को मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त अशरफ को 10 साल का सश्रम कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सजा का विवरण निम्न है-धारा 457 भादवि में 07 साल की सजा व 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 376 भादवि में 10 साल की सजा व 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही- थाना मिलक:-प्रधानमन्त्री आवास योजना के नाम पर धोखाधडी करने में 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार- दिनांक 09-10-2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण को क्योरार बाईपास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 5700 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री डालचन्द पुत्र श्री रामपाल नि0 ग्राम परम का मजरा मोहनपुर थाना मिलक, रामपुर से प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर धोखाधडी से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा 3500 रू0 ले लिये और आवास भी नहीं दिलवाया। पैसे मांगने पर पैसे भी वापस नहीं किये और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस सम्बंध में थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0-376/20 धारा 419,420,468,471,406,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-
1- अशोक उर्फ अजय कुमार पुत्र सुरेश निवासी ग्राम परम का मझरा मोहनपुर थाना मिलक रामपुर।
2- शहजाद पुत्र साबिर निवासी घेर तोंगा थाना गंज जिला रामपुर।
3- फरीद पुत्र शब्बीर निवासी बघी थाना गंज जिला रामपुर।
4- जुबैर पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम सूतरखाना थाना गंज जिला रामपुर।
5- तनवीर पुत्र एजाज हुसैन निवासी फूल वाली बगिया थाना गंज जिला रामपुर।

थाना सिविल लाइन:- 01 अदद नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 09-10-2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा षहनवाज पुत्र नवीजान निवासी रामपुर दौराहा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को पनवडिया चैराहा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-331/20 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट पंजीेकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खजुरिया:- 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 08-10-2020 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा बब्लू पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम खेमपुर थाना केमरी, रामपुर को मशर्रफगंज चैराहा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-80/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीेकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:- दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों से मारपीट करने में वांछित चल रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 22-07-2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित अजीतपुर पुल के पास सांई पेट्रोल पम्प के सामने दो पक्ष आपस में एक-दूसरे पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों व ईंट पत्थरों से जान से मारने की नियत से हमला करते हुए, गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उन्होंने मार्ग अवरूद्ध कर रखा था। पुलिस द्वारा काफी समझाने पर भी वह नहीं माने एवं दोनों पक्ष पुलिस पार्टी पर भी हमलावर हो गये थे तथा उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-214/20 धारा 147,149,307,336,352,504,506,341 भादवि व 7 सी0एल0 एक्ट बनाम 16 नामजद तथा 20-25 अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा मौके से 12 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 27-09-2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे एक ओर अभियुक्त बाबू पुत्र आले हसन निवासी ग्राम रायपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

आज दिनांक 09-10-2020 को थाना पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे इन्द्रपाल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम रायपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को रायपुर पुलिया से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

थाना शाहबाद:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार- दिनांक 09-10-2020 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त नाजिम पुत्र सत्तार निवासी ग्राम पुराना ललवारा थाना शाहबाद, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।